प्ररूप—एक
(नियम 11 देखिये)

कार्यालय कलेक्टर, सरगुजा एवं पदेन उप सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग

अधिसूचना

क्रमांक 9045 / भू–अर्जन / 2019 अम्बिकापुर, दिनांक 23 / 11 / 2019

भूमि अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर तथा पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 4 सहपठित नियम 7 के अन्तर्गत

नीचे अनुसूची में उल्लिखित भूमि का अर्जन लोक प्रयोजन हेतु राज्य सरकार द्वारा आशयित है, अर्थात:–

जिला	तहसील	ग्राम / नगर	क्षेत्रफल (हे0 में)	लोक प्रयोजन का विवरण
सरगुजा	अम्बिकापुर	रनपुर (मुख्य नहर)	0.192	श्याम नहर परियोजना
		योग:–	0.192	

उपरोक्त उल्लिखित भूमि के अर्जन हेतु सामाजिक समाघात निर्धारण के अध्ययन हेतु जन सुनवाई (दिनांक) 12/12/2019 को (समय) **पूर्वान्ह 11.00** बजे (स्थान) ग्राम पंचायत भवन रनपुर पर नियत की गई है। प्रस्तावित भूमि अर्जन का अन्य विवरण निम्नानुसार है:–

कंडिका	विवरण
एक– लोक प्रयोजन, का संक्षिप्त विवरण।	श्याम नहर परियोजना
दो– प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित परिवारों की संख्या।	1
तीन– अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित परिवारों की संख्या।	निरंक
चार– प्रभावित क्षेत्र में निजी मकानों तथा अन्य परिसम्पत्तियों की अनुमानित संख्या।	निरंक
पांच– प्रभावित क्षेत्र में शासकीय मकान तथा अन्य परिसम्पत्तियों की अनुमानित संख्या	निरंक
छः– क्या प्रस्तावित अर्जन न्यूनतम है ?	हां
सात– क्या संभव विकल्पों और इसकी साध्यता पर विचार कर लिया गया है ?	हां
आठ– परियोजना की कुल लागत।	400.00 लाख रूपये (अनुमानित)
नौ– परियोजना से होने वाला लाभ।	सिंचाई क्षमता का विस्तार, एवं किसानों की आय में वृद्धि।
दस– प्रस्तावित सामाजिक समाघात की प्रतिपूर्ति के लिये उपाय तथा इस पर होने वाला संभावित व्यय।	परियोजना का लोगों के सामाजिक जीवन पर कोई विपरीत प्रभाव पड़ने की संभावना नहीं है।
ग्यारह–परियोजना द्वारा प्रभावित होने वाले अन्य घटक	निरंक

उपरोक्त भूमि अर्जन के संबंध में किसी व्यक्ति/संस्था या अन्य किसी व्यक्ति को कोई जानकारी /सुझाव देना हो तो विहित तिथि/समय एवं स्थान पर दी जा सकेगी।

(डॉ.सारांश मित्तर)
कलेक्टर
सरगुजा,अम्बिकापुर

पृ0 क्रमांक 9046 / भू–अर्जन / 2019, अम्बिकापुर, दिनांक 23/ 11 / 2019

प्रतिलिपि–

1– सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर।

2– आयुक्त, सरगुजा संभाग, अम्बिकापुर।

3– मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत सरगुजा, अम्बिकापुर ।

4– अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व, अम्बिकापुर, सह अध्यक्ष, सामाजिक समाघात निर्धारण दल, को अधिसूचना की दस प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित। कृपया संलग्न अधिसूचना संबंधित ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत, अनुविभागीय अधिकारी, (राजस्व), तहसील कार्यालय के सूचना पटल पर चस्पा कराये। साथ ही इसका प्रकाशन प्रभावित क्षेत्रों में करायें तथा उद्घोषणा भी करायें। इसके अतिरिक्त क्षेत्र में प्रचलित दो दैनिक समाचार पत्रों में अधिसूचना प्रकाशित करायें तथा **ग्राम रनपुर** अनुसूचित क्षेत्र होने के कारण ग्राम सभा की सहमति भी प्राप्त की जाए।

5– जिला सूचना विज्ञान अधिकारी, सरगुजा, अम्बिकापुर को अधिसूचना की प्रति जिले के वेबसाईट में अपलोड किए जाने हेतु प्रेषित।

6–सर्व सदस्य, सामाजिक समाघात निर्धारण दल, श्याम नहर परियोजना, **ग्राम रनपुर,** तहसील–अम्बिकापुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

7– मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत, अम्बिकापुर, जिला सरगुजा।

8– कार्यपालन अभियंता जल संसाधन संभाग, क्र0 01, अम्बिकापुर, जिला–सरगुजा, को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

कलेक्टर
सरगुजा,अम्बिकापुर

कार्यालय कलेक्टर सरगुजा, अम्बिकापुर एवं पदेन उप सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग

अधिसूचना

क्रमांक 9051/भू–अर्जन/2019 अम्बिकापुर,दिनांक 23/11/2019

भूमि अर्जन, पुनर्वासन, पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर तथा पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 8 सहपठित नियम 26 के अन्तर्गत

कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग क्र0 01, अम्बिकापुर, के द्वारा उड़मकेला व्यपवर्तन योजना हेतु ग्राम उड़मकेला, तहसील–मैनपाट, में कुल 52 खातेदारों की कुल खसरा नं. 73, कुल रकबा 5.956 हे0 निजी भूमि के अर्जन हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था। इस प्रकरण में सामाजिक समाघात निर्धारण दल के द्वारा प्रस्तुत सामाजिक समाघात निर्धारण प्रतिवेदन/सामाजिक समाघात प्रबंधन योजना के मूल्यांकन हेतु इस कार्यालय के आदेश क्रमांक 7209/भू–अर्जन/2019, अम्बिकापुर, दिनांक 20/09/2019 के माध्यम से विशेषज्ञ समूह का गठन किया गया था। विशेषज्ञ समूह के द्वारा पत्र क्रमांक 8750/भू–अर्जन/2019, दिनांक 14/11/2019 के साथ मूल्यांकन प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है। उक्त प्रतिवेदन में उल्लेख किया गया है कि–

(i) परियोजना का ग्राम के लोगो की सामाजिक, सांस्कृतिक एवं आर्थिक स्थिति पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं पडेगा।

(ii) ग्राम के प्राकृतिक संसाधनों (यथा मिट्टी, वायु, जल, वन) पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं पडेगा।

(iii) ग्राम की निजी /सार्वजनिक सम्पत्तियों, लोक सेवाओं और उपयोगिताओं पर परियोजना का कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ेगा।

(iv) परियोजना से लोक प्रयोजन की पूर्ति होती है।

(v) परियोजना के सामाजिक खर्च एवं प्रतिकूल सामाजिक समाघात की तुलना में संभाव्य फायदे अधिक हैं।

(vi) अर्जन हेतु प्रस्तावित भूमि की सीमा उस परियोजना के लिए आवश्यक पूर्णतया यथार्थ न्यूनतम सीमा तक है।

(vii) परियोजना से ग्राम के लोगों का विस्थापन नहीं हो रहा है।

2– मूल्यांकन प्रतिवेदन के अनुसार कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग क्र0 01, अम्बिकापुर, के द्वारा उड़मकेला व्यपवर्तन योजना हेतु ग्राम उड़मकेला, तहसील–मैनपाट, में कुल 52 खातेदारों की कुल खसरा नं. 73, कुल रकबा 5.956 हे0 निजी भूमि अर्जित किये जाने हेतु विशेषज्ञ समूह द्वारा अनुशंसा की गई है।

3– सामाजिक समाघात निर्धारण प्रतिवेदन, सामाजिक समाघात प्रबंधन योजना, विशेषज्ञ समूह का मूल्यांकन प्रतिवेदन एवं अन्य सभी प्रासंगिक अभिलेखों के अवलोकन एवं विचारोपरांत मेरा निष्कर्ष निम्नानुसार है –

(i) प्रस्तावित अर्जन के संबंध में एक विधिसम्मत और सद्भाविक लोक प्रयोजन है जिसके कारण प्रस्तावित भूमि का अर्जन आवश्यक हो गया है।

(ii) परियोजना के सामाजिक खर्च एवं प्रतिकूल सामाजिक समाघात की तुलना में संभाव्य फायदे अधिक हैं।

(iii) परियोजना के लिए अपेक्षित भूमि के न्यूनतम क्षेत्र का अर्जन किए जाने का प्रस्ताव है।

(iv) इस परियोजना के लिए ऐसी कोई अनुपयोजित भूमि नहीं है, जिसका ग्राम उड़मकेला, तहसील–मैनपाट, में पूर्व में अर्जन किया गया है।

(v) भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 2 की उपधारा (2) के परन्तुक के अधीन अपेक्षित प्रभावित कुटुम्बों की पूर्व सहमति विहित रीति एवं निर्धारित प्रारूप में अभिप्राप्त कर ली गई है।

अतएव विशेषज्ञ समूह की अनुशंसा के आधार पर (क) न्यूनतम विस्थापन (ख) अधोसंरचना पर न्यूनतम बाधा (ग) पर्यावरण पर न्यूनतम प्रभाव को सुनिश्चित करते हुए कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग क्र0 01, अम्बिकापुर, के द्वारा उड़मकेला व्यपवर्तन योजना हेतु ग्राम उड़मकेला, तहसील–मैनपाट, में कुल 52 खातेदारों की कुल खसरा नं. 73, कुल रकबा 5.956 हे0 निजी भूमि का भभूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम,2013 एवं प्रासंगिक नियमों के अनुसार अर्जन का विनिश्चय किया जाता है।

(डॉ.सारांश मित्तर)
कलेक्टर
सरगुजा,अम्बिकापुर

क्रमांक 9052 /भू–अर्जन/2019, अम्बिकापुर, दिनांक 23/11/2019

प्रतिलिपि–

1– सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर को सूचनार्थ सादर प्रेषित।

2– आयुक्त, सरगुजा संभाग, अम्बिकापुर को सूचनार्थ सादर प्रेषित।

3– मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत सरगुजा, अम्बिकापुर।

4– अनुविभागीय अधिकारी, (राजस्व) सीतापुर, जिला–सरगुजा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित। कृपया संबंधित ग्राम पंचायत, अनुविभागीय अधिकारी कार्यालय, तहसील कार्यालय एवं प्रभावित ग्राम में अधिसूचना का तत्काल प्रकाशन कराएं तथा पालन प्रतिवेदन इस कार्यालय को भिजवाना सुनिश्चित करें। आपको आदेशित किया जाता है कि " भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम,2013 के अन्तर्गत उड़मकेला व्यपवर्तन योजना के लिए सामाजिक समाघात प्रतिवेदन के संलग्नक में दर्शाये अनुसार ग्राम उड़मकेला, तहसील–मैनपाट, में कुल 52 खातेदारों की कुल खसरा नं. 73, कुल रकबा 5.956 हे0 निजी भूमि के अर्जन हेतु प्रकरण पंजीबद्ध करें तथा उक्त अधिनियम की धारा 11(1) के अन्तर्गत प्रकाशन हेतु प्रारंभिक अधिसूचना का प्रारुप तैयार कर प्रस्तुत करें।

5–जिला सूचना विज्ञान अधिकारी, सरगुजा, अम्बिकापुर को अधिसूचना की एक प्रति जिले के वेबसाईट पर तथा छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग, की वेवसाईट पर अपलोड किए जाने हेतु प्रेषित।

6– प्रभारी अधिकारी, नजरात शाखा, कलेक्टर कार्यालय अम्बिकापुर को अधिसूचना की प्रति कलेक्टर कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर चस्पा किए जाने हेतु प्रेषित।

7– तहसीलदार, मैनपाट, ज़िला–सरगुजा।

8– मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत मैनपाट, जिला सरगुजा।

9– कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग क्र0 01, अम्बिकापुर, जिला सरगुजा, को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

22/11

कलेक्टर
सरगुजा,अम्बिकापुर

कार्यालय कलेक्टर सरगुजा, अम्बिकापुर एवं पदेन उप सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग

अधिसूचना

क्रमांक 9049/भू-अर्जन/2019 अम्बिकापुर, दिनांक 23/11/2019

भूमि अर्जन, पुनर्वासन, पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर तथा पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 8 सहपठित नियम 26 के अन्तर्गत

कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग क्र0 01, अम्बिकापुर, के द्वारा बांसाझाल व्यपवर्तन योजना हेतु ग्राम बांसाझाल एवं ग्राम कुड़केल तहसील-बतौली, में कुल 20 खातेदारों की कुल खसरा नं. 31, कुल रकबा 2.236 हे0 निजी भूमि (ग्राम बांसाझाल, तहसील-बतौली, की कुल 19 खातेदारों की कुल खसरा नं. 30, कुल रकबा 1.856 हे0, ग्रान कुड़केल, तहसील- बतौली, की कुल 1 खातेदारों की कुल खसरा नं. 1, कुल रकबा 0.380 हे0) के अर्जन हेतु प्रस्तावित है। इस प्रकरण में सामाजिक समाघात निर्धारण दल के द्वारा प्रस्तुत सामाजिक समाघात निर्धारण प्रतिवेदन/सामाजिक समाघात प्रबंधन योजना के मूल्यांकन हेतु इस कार्यालय के आदेश क्रमांक 7207/भू-अर्जन/2019, अम्बिकापुर, दिनांक 20/09/2019 के माध्यम से विशेषज्ञ समूह का गठन किया गया था। विशेषज्ञ समूह के द्वारा पत्र क्रमांक 8749/भू-अर्जन/2019, अम्बिकापुर, दिनांक 15/11/2019 के साथ मूल्यांकन प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है। उक्त प्रतिवेदन में उल्लेख किया गया है कि-

(i) परियोजना का ग्राम के लोगो की सामाजिक, सांस्कृतिक एवं आर्थिक स्थिति पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं पडेगा।

(ii) ग्राम के प्राकृतिक संसाधनों (यथा मिट्टी, वायु, जल, वन) पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं पडेगा।

(iii) ग्राम की निजी/सार्वजनिक सम्पत्तियों, लोक सेवाओं और उपयोगिताओं पर परियोजना का कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ेगा।

(iv) परियोजना से लोक प्रयोजन की पूर्ति होती है।

(v) परियोजना के सामाजिक खर्च एवं प्रतिकूल सामाजिक समाघात की तुलना में संभाव्य फायदे अधिक हैं।

(vi) अर्जन हेतु प्रस्तावित भूमि की सीमा उस परियोजना के लिए आवश्यक पूर्णतया यथार्थ न्यूनतम सीमा तक है।

(vii) परियोजना से ग्राम के लोगों का विस्थापन नहीं हो रहा है।

2- मूल्यांकन प्रतिवेदन के अनुसार कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग क्र0 01, अम्बिकापुर, के द्वारा बांसाझाल व्यपवर्तन योजना हेतु ग्राम बांसाझाल एवं ग्राम कुड़केल तहसील-बतौली, में कुल 20 खातेदारों की कुल खसरा नं. 31, कुल रकबा 2.236 हे0 निजी भूमि अर्जित किये जाने हेतु विशेषज्ञ समूह द्वारा अनुशंसा की गई है।

3- सामाजिक समाघात निर्धारण प्रतिवेदन, सामाजिक समाघात प्रबंधन योजना, विशेषज्ञ समूह का मूल्यांकन प्रतिवेदन एवं अन्य सभी प्रासंगिक अभिलेखों के अवलोकन एवं विचारोपरांत मेरा निष्कर्ष निम्नानुसार है -

(i) प्रस्तावित अर्जन के संबंध में एक विधिसम्मत और सद्भाविक लोक प्रयोजन है जिसके कारण प्रस्तावित भूमि का अर्जन आवश्यक हो गया है।

(ii) परियोजना के सामाजिक खर्च एवं प्रतिकूल सामाजिक समाघात की तुलना में संभाव्य फायदे अधिक हैं।

(iii) परियोजना के लिए अपेक्षित भूमि के न्यूनतम क्षेत्र का अर्जन किए जाने का प्रस्ताव है।

(iv) इस परियोजना के लिए ऐसी कोई अनुपयोजित भूमि नहीं है, जिसका ग्राम बांसाझाल एवं ग्राम कुड़केल तहसील-बतौली, में पूर्व में अर्जन किया गया है।

(v) भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 2 की उपधारा (2) के परन्तुक के अधीन अपेक्षित प्रभावित कुटुम्बों की पूर्व सहमति विहित रीति एवं निर्धारित प्रारूप में अभिप्राप्त कर ली गई है।

3452

अतएव विशेषज्ञ समूह की अनुशंसा के आधार पर (क) न्यूनतम विस्थापन (ख) अधोसंरचना पर न्यूनतम बाधा (ग) पर्यावरण पर न्यूनतम प्रभाव को सुनिश्चित करते हुए कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग क्र0 01, अम्बिकापुर, के द्वारा बांसाझाल व्यपवर्तन योजना हेतु प्रस्तावित ग्राम बांसाझाल एवं ग्राम कुड़केल, तहसील–बतौली, में कुल 20 खातेदारों की कुल खसरा नं. 31, कुल रकबा 2.236 हे0 निजी (ग्राम बांसाझाल, तहसील–बतौली, की कुल 19 खातेदारों की कुल खसरा नं. 30, कुल रकबा 1.856 हे0, ग्राम कुडकेल, तहसील– बतौली, की कुल 1 खातेदारों की कुल खसरा नं. 1, कुल रकबा 0.380 हे0) का भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 एवं प्रासंगिक नियमों के अनुसार अर्जन का विनिश्चय किया जाता है।

(डॉ.सारांश मित्तर)
कलेक्टर
सरगुजा,अम्बिकापुर

क्रमांक 9050 /भू–अर्जन/2019,   अम्बिकापुर, दिनांक 23/11/2019

प्रतिलिपि–

1– सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर को सूचनार्थ सादर प्रेषित।

2– आयुक्त, सरगुजा संभाग, अम्बिकापुर को सूचनार्थ सादर प्रेषित।

3– मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत सरगुजा, अम्बिकापुर।

4– अनुविभागीय अधिकारी,(राजस्व) सीतापुर जिला–सरगुजा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित। कृपया संबंधित ग्राम पंचायत, अनुविभागीय अधिकारी कार्यालय, तहसील कार्यालय एवं प्रभावित ग्राम में अधिसूचना का तत्काल प्रकाशन कराएं तथा पालन प्रतिवेदन इस कार्यालय को भिजवाना सुनिश्चित करें। आपको आदेशित किया जाता है कि भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम,2013 " के अन्तर्गत बांसाझाल व्यपवर्तन योजना के लिए सामाजिक समाघात प्रतिवेदन के संलग्नक में दर्शाये अनुसार (ग्राम बांसाझाल, तहसील–बतौली, की कुल 19 खातेदारों की कुल खसरा नं. 30, कुल रकबा 1.856 हे0, तथा ग्राम कुड़केल, तहसील– बतौली, की कुल 1 खातेदारों की कुल खसरा नं. 1, कुल रकबा 0.380 हे0) निजी भूमि के अर्जन हेतु पृथक–पृथक प्रकरण पंजीबद्ध करें तथा उक्त अधिनियम की धारा 11(1) के अन्तर्गत प्रकाशन हेतु प्रारंभिक अधिसूचना का प्रारुप तैयार कर प्रस्तुत करें।

5– जिला सूचना विज्ञान अधिकारी, सरगुजा, अम्बिकापुर को अधिसूचना की एक प्रति जिले के वेबसाईट पर तथा छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग, की वेवसाईट पर अपलोड किए जाने हेतु प्रेषित।

6– प्रभारी अधिकारी, नजरात शाखा, कलेक्टर कार्यालय अम्बिकापुर को अधिसूचना की प्रति कलेक्टर कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर चस्पा किए जाने हेतु प्रेषित।

7– तहसीलदार, बतौली, जिला–सरगुजा।

8– मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत, बतौली, जिला सरगुजा।

9– कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग क्र0 01, अम्बिकापुर, जिला सरगुजा, को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

कलेक्टर
सरगुजा,अम्बिकापुर